



2026:AHC: 16656

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 40626/2025

हरिकिशुन

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: नवनाथ पांडे, वरुणेश शुक्ल

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या-2

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- 1- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- 2- यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
- 3- वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रत्यर्थी संख्या 2 - उप जिलाधिकारी, तहसील तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर को वाद संख्या T202505440309370 का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश देना है।
- 4- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय पहले ही बीत चुका है, लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
- 5- वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में, संबंधित न्यायालय को विधि के अनुसार कड़ाई से और बिना किसी विधिक बाधा के अनावश्यक स्थगन दिए बिना उपरोक्त वाद का निर्णय करने का निर्देश देते हुए वर्तमान याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।